

11-213/1सी
CP 3-3-015

अनुमोदित जाति उपयोगानुसार

संख्या- 111(2)/10-36/213/सी/2008 दिनांक 17 जून, 2010

प्रपक,
अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा न,
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

03/03/16
11/213/1सी
11/213/1सी

लोक निर्माण अनुभाग-2
विषय:- देहरादून दिनांक 24 फरवरी, 2016
जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-थराली में नारायणबगड़-किमोली मोटर मार्ग के किमी-8 में नदी मल्ली, मुसाउडियार-बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लाहौली/चमोली द्वारा जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-थराली में नारायणबगड़-किमोली मोटर मार्ग के किमी-8 में नदी मल्ली, मुसाउडियार-बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण की प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन, जिसकी लम्बाई 6.00 किमी + 30 मी सेतु तथा लागत ₹ 51.30 लाख है, पर विभागीय टीएचसी द्वारा अंतिम रूप पाई गई लागत ₹ 51.30 लाख (₹ इक्कावन लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर्त हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आगक नियंत्रण में रख जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों का समयबद्ध रूप में पूर्ण किया जायगा तदनुसार शासनादेश सं०-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायगा।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दरें श्रैड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्राक्धारमन्त रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायगा। इसके अतिरिक्त बजट मैन्युअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन पठित कराते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा।
- उपरोक्त स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, एंटीलिटी सिपिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-30 के अन्तर्गत समस्त शासनादेशों में प्राविष्टित बजट में निवर्तन पर रखी गई धनराशि में निम्नानुसार किया जायगा।

सचिव
2-2-61

सहायक अभियन्ता
नि०ख० सी०नि०वि०
थराली (चमोली)
Bury

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अयमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-30 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-05 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1130(b)/XXVII(2)/2015 दि०-24 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- (1)/11(2)/16-56(प्र०आ०)/2015टी०सी० तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, चमोली।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

— दया प्रति सहायक —

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

सहायक अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
चमोली (चमोली)
Bury